

फर्द अहकाम

गोपाल वर्गै 0


बनाम

अर्जुन वर्गै 0


का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

21/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.03.2025	<p>अधिवक्ता श्री रामसिंह द्वारा वाद बबात रथाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.04.2025 को पेश हो।</p>	
23.4.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी उप० पूर्विका की पासना के पत्रावली दिनांक 4/5/25 को पेश हो।</p>	
4.5.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता न्यायालय के अनुपस्थित वादीगण को आज प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार भावने लगवायी गयी। भावजूद साकाज लगवाने के उपरांत भी वादीगण के न्यायालय में हाजिर नहीं होने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आर्टिकल-9 नियम-3 जा० 310 के तहत अदम हाजरी व अदम धरवी में खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल सुनार होकर नंबर से कम होकर दाखिल रहता है।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर


उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर


उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर